

न्यूनतम वन भूमि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फूलधार नहर निर्माण कार्य वन भूमि में कार्य हेतु 0.2695 है० वन भूमि का प्रयोग किया जायेगा। यह न्यूनतम है। इससे कम भूमि में कार्य करना सम्भव नहीं है।

1. वन भूमि का प्रीमियम जो शासन द्वारा निर्धारित होगा याचक विभाग द्वारा वन विभाग को भुगतान किया जायेगा।
2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा जो शर्तें निर्धारित की जायेगी यह याचक विभाग को मान्य होगी।



अपर सहायक अभियन्ता
आई उपखण्ड-बड़कोट
पुरोला (उत्तरकाशी)


सहायक अभियन्ता
सिंचाई विभाग उप खण्ड बड़कोट
बड़कोट (उत्तरकाशी)


अभिज्ञान अभियन्ता
सिंचाई विभाग खण्ड-पुरोला
उत्तरकाशी




जिलाधिकारी
उत्तरकाशी